209

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप जबलपुर

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर
निग-2365-I-16

रामजी उईके पिता डोरीलाल उईके
निवासी ग्राम दूल्हाखेड़ा पोस्ट बिजौरी
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर

---- आवेदक

विरूद्ध

श्री ... द्वारा आज दि. 20/7/16 को प्रस्तुत

1- श्री अर्पित राय पिता लखनलाल राय
निवासी 291 चेरीताल वार्ड,
शिवनगर, जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

---- अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 34/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 6-6-16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 तहत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

रिविजन के तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम ग्राम भौतिया प.ह.नं. 66 रा.नि.मं. चरगंवा तहसील शहपुर जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 149 रकबा 1.56 हैक्टर भूमि अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक कमांक 1 अर्पित राय को विक्रय करना चाहता है, अतः विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये । उक्त आवेदन जिलाध्यक्ष ने आदेश दिनांक 4-12-14 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित भेजने के निर्देश दिए गए । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन नायब तहसीलदार, पाटन को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा । नायब तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को पेश किया गया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा शीघ्र सुनवाई किए जाने का आवेदन जिलाध्यक्ष महोदय के समक्ष दिया जिसे जिलाध्यक्ष महोदय ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त कर प्रकरण 29-8-2016 के लिए नियत किया है, कलेक्टर के इस आदेश व्यथित होकर निगरानी निम्न आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

आधार

1. यहकि, कलेक्टर ने अपने आदेश में आवेदक द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु कोई समाधानकारक तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के आधार पर शीघ्र सुनवाई का आवेदन निरस्त किया गया है, जो सही नहीं है क्योंकि आवेदक द्वारा अपने शीघ्र सुनवाई के आवेदन में बैंक ऋण चुकाने, शेष बच रही भूमि की उन्नति हेतु रूपयों की आवश्यकता होने का स्पष्ट उल्लेख किया था ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2365–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.7.16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 34/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 6–6–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक रामजी उईके पिता डोरीलाल उईके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम भौतिया प.ह.नं. 66 रा.नि.मं. चरगंवा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 149 रकबा 1.56 हैक्टर को अनावेदक/गैर आदिम जनजाति सदस्य श्री अर्पित राय पिता लखनलाल राय को विकय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार, चरगंवा को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भमि विकय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

होने के उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक पर बैंक का ऋण बकाया है, जिसे चुकाने एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए पैसे की आवश्यकता होने के कारण तथा प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया था, ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था किंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में इस न्यायालय द्वारा ही जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन को स्वीकार कर भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है ।

3/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं, अति0 तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इश्तहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि कय करना नहीं चाहते । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास ग्राम दूल्हाखेड़ा में कुल 8.17 हैक्टर भूमि शेष बचती है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आवेदक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2365–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम भौतिया प.ह.नं. 66 रा.नि.मं. चरगंवा तहसील शहपुर जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 149 रकबा 1.56 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2– केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राषि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

3– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर